नीलामी सूचना

माननीय जनपद न्यायाधीश,कानपुर देहात के आदेशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दीवानी न्यायालय,कानपुर देहात परिसर स्थित माती के दक्षिणी–पश्चिमी दिशा में स्थित **जलपान गृह** की वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु नीलामी प्रकिया प्रारम्भ की जा रही है। इच्छुक व्यक्ति दिनाँक 07.03.2025 तक कार्यालय समय में नजारत अनुभाग में आवेदन जमा करा सकेंगे तथा दिनांक– 17.03.2025 को समय 4.30 बजे जनपद न्यायालय, कानपुर देहात के मीटिंग हॉल में **नीलामी खुली बोली के आधार** पर समिति के समक्ष सम्पन्न करायी जाएगी।

नीलामी की शर्ते व नियम

1 नीलामी हेतु आवेदन फार्म मु0 **1000/–** रु0 का नकद भुगतान कर नजारत अनुभाग से दिनाँक 03.03.2025 तक प्राप्त किये जा सकते हैं।

2 इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त जलपान गृह की स्थिति एवं क्षेत्रफल का निरीक्षण केन्द्रीय नाजिर को पूर्व सूचना के उपरांत कर सकते हैं।

3 प्रकिया में भाग लेने के पूर्व सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अपना हैसियत प्रमाण पत्र केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय कानपुर देहात को प्रस्तुत करना होगा।

4 जनपद न्यायालय, कानपुर देहात के परिसर स्थित माती के जलपान गृह का उपयोग केवल उपरोक्त के लिए किया जायेगा किसी अन्य कार्य के लिए नहीं किया जाएगा।

5 जनपद न्यायालय, कानपुर देहात के परिसर स्थित माती के जलपान गृह को ठेके पर उठाने की प्रकिया में भाग लेने वाले व्यक्ति को आवेदन प्रस्तुत करते समय **20000/– रुपये** का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा। जो माननीय जनपद न्यायाधीश कानपुर देहात के नाम देय होगा।

6 आवेदन फॉर्म के साथ उपरोक्त धनराशि की डी0डी0 जमा करनी होगी। डी0डी0 न होने पर आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

7 प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति को कभी किसी न्यायालय ने दण्डित न किया हो तथा उसका कोई सिविल या दाण्डिक मुकदमा जनपद न्यायालय कानपुर देहात में लम्बित नहीं होना चाहिए। इस बावत अपना नोटरी शपथपत्र भी प्रस्तुत करेंगे।

8 स्वीकृति के उपरान्त बोलीकर्ता को उक्त राशि का चौथाई तुरन्त जमा करना होगा, और शेष धनराशि 25.03.2025 तक जमा करना होगा। डी0डी0 की धनराशि कुल राशि में समायोजित की जाएगी।

9 जलपान गृह हेतु इच्छुक व्यक्तियों को खाद्य लाईसेन्स भी प्रस्तुत करना होगा।

10 स्वीकृति के उपरान्त भागीदार जिसकी बोली स्वीकृत होगी, के द्वारा स्वीकृत ठेके की 1/4 धनराशि तुरन्त एकमुश्त जमा नहीं करने पर उसकी डी0डी0 की राशि राज्य सरकार के पक्ष में स्वतः जब्त समझी जाएगी।

11 उपरोक्त नीलामी की बोली **174000/–** रुपये न्यूनतम् मूल्य से अधिक से प्रारम्भ होगी।

12 नीलामी की अन्तिम स्वीकृति माननीय जनपद न्यायाधीश,कानपुर देहात महोदय द्वारा की जाएगी।

13 नीलामी प्रक्रिया बिना कोई कारण बताए स्थगित या अस्वीकृत माननीय जनपद न्यायाधीश, कानपुर देहात द्वारा की जा सकती है।

14 उपरोक्त जलपान गृह के उपयोग की अवधि दिनांक–31.03.2026 को स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा उसके बाद तुरन्त सम्बन्धित अध्यासी द्वारा उपरोक्त का अध्यासन केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय कानपुर देहात को हस्तगत किया जायेगा।

सूचना आज दिनांक–15.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी।

15/02/25

(दुर्गेश)
अध्यक्ष नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं06
कानपुर देहात